AMAR UJALA, Delhi, 9.11.2019
Page No. 11, Size:(12.95)cms X (11.67)cms.

आधार के नए नियम, ग्राहक सिर्फ दो बार बदलवा सकेंगे नाम

नई दिल्ली। भारतीय नागरिकों के विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने 8 नवंबर शुक्रवार से आधार में अपडेट कराने को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत आधार कार्ड में अब बार-बार अपडेशन नहीं कराए जा सकेंगे।

यूआईडीएआई ने अपनी अधिसूचना में बताया है कि उपभोक्ता आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम, जन्मतिथि और जेंडर में बार-बार बदलाव नहीं करा सकेंगे। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम में केवल दो बार बदलाव कर सकेगा, जबकि जन्मतिथि में सिर्फ एक बार ही बदलाव किया जा सकेगा। इसमें भी बदलाव का अंतर तीन साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्यूरो

ऐसे हालात में ही बदलेगी जन्मतिथि

सर्कुलर के मुताबिक, अगर धारक के पास आधार एनरोलमेंट के समय जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, तो यूआईडीएआई के पास जो तारीख दर्ज कराई जाएगी, उसे ही घोषित जन्मतिथि मान लिया जाएगा। बाद में धारक के जन्मतिथि प्रमाण-पत्र देने पर इसमें बदलाव किया जा सकेगा।